पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

Frequently Asked Questions

प्रश्नः 1. लिंग चयन क्या है ?

उत्तरः अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी विधि/तकनीक द्वारा गर्भधारण से पहले किसी विशेष लिंग का चयन करवाना अथवा गर्भधारण करने के बाद व प्रसव से पहले गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग का पता लगाना (लडका है या लडकी) लिंग चयन के अन्तर्गत आता है।

प्रश्नः 2. साधारणतया लिंग चयन व लिंग जांच हेतु किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है?

लिंग चयनः– प्री इम्पलांटेशन आनुवांशिक निदानः यह एक नई तकनीक है जिसका दुरूपयोग लिंग चयन हेतु किया जा सकता है। इसमें टेस्ट ट्यूब (परीक्षण नली) के माध्यम से लिंग चयन किया जाता है।

लिंग जांचः

1. एमनिओसेन्टेसिसः गर्भवती महिला के गर्भ से एमनिओटिक फ्लूइड को निकालकर उसके अध्ययन के माध्यम से।
2. कोरियोनिक विलस बायोप्सीः इस तकनीक के द्वारा गर्भाशय के निचले हिस्से से ऊतक (कोरियोनिक विली, जो भ्रूण के चारों तरफ रहता है) निकालकर उसके द्वारा लड़का–लड़की का पता लगाया जाता है।
3. अल्ट्रासोनोग्राफी : सोनोग्राफी व अल्ट्रासाउण्ड के नाम से मशहूर यह तकनीक समान्यतः प्रयोग की जाने वाली निदान तकनीक है। लेकिन लिंग जांच हेतु सबसे अधिक प्रयोग इसी तकनीक का होता है।

प्रश्नः3. पीसीपीएनडीटी अधिनियम क्या कहता है ?

किसी भी तरीके/तकनीक से गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन करवाना व प्रसवपूर्व लिंग जांच करवाने के विरूद्ध एक अधिनियम है जो कि ऐसा करना प्रतिबंधित करता है।

- लिंग चयन एवं लिंग जांच पूर्णतया प्रतिबंधित है। **(धारा 3–क)**
- कोई व्यक्ति जिसमें प्रसवपूर्व निदान–प्रक्रियां करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की सूचना नहीं देगा। **(धारा 5 (2))**
- अल्ट्रासाउण्ड मशीन या इमेजिंग मशीन अथवा ऐसी कोई भी अन्य तकनीक जिससे भ्रूण के लिंग की जांच संभव हो, की सेवाएं देने हेतु अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र/क्लिनिक को पंजीकृत करना होगा। **(धारा18–1)**
- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी केन्द्रों को जनता की सूचना हेतु अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक सूचनापट्ट, कि भ्रूण के लिंग को प्रकट करना कानूनी अपराध है, लगाना होगा। **(नियम 17–1)**
- कोई भी केन्द्र/व्यक्ति लिंग चयन या जांच से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन किसी भी रूप में प्रचारित–प्रसारित नहीं करेगा। **(धारा 22)**

प्रश्नः4. पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस प्रकार से चिकित्सा व्यवसायियों से संबद्ध है ?

यह अधिनियम चिकित्सा व्यवसायियों के लिए ही है, चूंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन/प्रयोग इन्हीं कि द्वारा किया जाता है और यह भी स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या के घटने के पीछे इन तकनीकों का दुरूपयोग पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे में कुछ चिकित्सक लिंग चयन को सामाजिक भले हेतु किया गया कार्य मानते है। परंतु सबसे महत्वूपर्ण यह है कि लिंग चयन करना पूर्णतया कानून के विरूद्ध है और किसी भी रूप मे यह किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

प्रश्नः5. क्या एक्ट तकनीक के विरूद्ध है ?

यह एक्ट तकनीक के विरूद्ध कदापि नहीं है, लेकिन यह अधिनियम इन तकनीकों के सदुपयोग की मांग करता है जो चिकित्सक इन तकनीकों का दुरूपयोग करते है, उन्हें घटते शिशु लिंगानुपात से भविष्य में समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव व अन्य समस्याओं से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। कोई भी तकनीक जो कि मानव स्वास्थ्य के भले से जुड़ी है, निश्चित रूप से समाज के लिए हितकारी है। हालांकि एक महिला को विशेष परिस्थितियों में गर्भपात का अधिकार है। इसके लिए हमारे देश में अधिनियम (एमटीपी एक्ट) भी बना हुआ है। लेकिन यदि यह गर्भपात लिंग चयन आधारित है तो यह गैर कानूनी होगा और यदि डॉक्टर ऐसा करते है तो यह पूरे चिकित्सकीय समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है।

प्रश्नः6. क्या गैर एलोपैथी डॉ0 अल्ट्रासाउण्ड मशीन चला/संचालन कर सकता है ?

गैर एलोपैथी चिकित्सक मशीन पर जांचकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अधिनियम/नियमानुसार रेडियोलॉजिस्ट/स्त्री रोग विशेषज्ञ/सोनोलॉजिस्ट एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपने क्षेत्रों में सोनोग्राफी मशीन का संचालन किया जा सकता है, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.01.2014 के अनुसार विहित रीति में छः मासिक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक द्वारा भी मशीन का संचालन किये जाने हेतु प्रावधान है। चिकित्सक का पंजीकरण स्टेट मेडिकल काउन्सिल में होना भी अनिवार्य है।

प्रश्नः7 क्या सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है ?

हां, किसी भी संस्थान को (प्राईवेट हो या सरकारी), यदि वहां पर लिंग जांच की क्षमता से संबंधित किसी भी प्रकार की मशीन प्रयोग करना/लगाना है तो कानून के अंतर्गत उस संस्थान/अस्पताल का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

प्रश्नः8 क्या आपातकाल की स्थिति में पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन को वाहन से ले जाया जा सकता है ?

यदि अल्ट्रासाउण्ड मशीन मोबाईल मेडिकल यूनिट के रूप में पंजीकृत है तो उसे जिले में कही भी ले जाया जा सकता है, परन्तु किसी भी स्थिति में मशीन को वाहन से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

प्रश्नः9 यदि किसी केन्द्र का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस स्थिति में केन्द्र के पंजीकरण का क्या होगा ? इसी प्रकार अपराध सिद्ध हो जाने पर पंजीकृत इकाई का क्या होगा ?

न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की स्थिति में केन्द्र का पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है **(नियम18क(4)(ii))** और यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो पंजीकृत इकाई को निरस्त कर दिया जाएगा।

प्रश्नः10 अधिनियम के अंतर्गत किस–किसको सजा मिल सकती है ?

- वह व्यक्ति/चिकित्सक जो जांचकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- ऐसा व्यक्ति जो केन्द्र/इकाई का संचालक है।
- दलाल जो लिंग जांच अथवा ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो।
- गर्भवती महिला का पति/परिवार अथवा महिला के वो रिश्तेदार जो लिंग जांच के लिए महिला को प्रेरित करते है।
- गर्भवती महिला, जब यह सिद्ध हो जाए की वह अपनी मर्जी से लिंग जांच करवाने गयी थी।
- ऐसा व्यक्ति/संस्था जो लिंग चयन/जांच/विशेष लिंग से संबंधित विज्ञापन जारी करता है तो विज्ञापन जारीकर्ता एवं करवाने वाला **(धारा 22)**
- कम्पनी/विक्रेता जो अपंजीकृत ईकाई को मशीन की बिक्री करता है।

प्रश्नः11 यदि केन्द्र/क्लिनिक अपंजीकृत है तो इस स्थिति में क्या कार्यवाही होगी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के नियम 11 में उप नियम 2 के लिए नियमों को बदल दिया गया है। नये नियम के अनुसार अपंजीकृत रूप से चलाए जा रहे केन्द्रों का पता चलने पर मशीनों को जब्त कर उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नः12 एक आम व्यक्ति लिंग चयन प्रथा के उन्मूलन में कैसे मदद कर सकता/सकती है ?

1. अगर किसी को उसके समाज या पड़ोस में किसी के द्वारा लिंग चयन करने अथवा कराने का पता चलता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/जिलाधिकारी को सबूत के साथ कर सकते है। शिकायकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा इस हेतु हैल्प लाईन नं0 104, 108, 0141–2221812 या ई–मेल (pcpndt-rj@nic.in) है।

2. यदि आपको लगता है कि किसी भी केन्द्र के द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी शिकायत समुचित प्राधिकारी/जिलाधिकारी से की जा सकती है। जैसे केन्द्र का अपंजीकृतरूप से संचालन, अप्रशिक्षित या अयोग्य व्यक्ति द्वारा मशीनों का संचालन, लिंग जांच के बारे में पता चलना जैसी जानकारी पर इसकी शिकायत की जा सकती है।

3. राज्य सरकार द्वारा चलाई गई मुखबिर योजना के अंतर्गत किसी भी स्तर पर समुचित प्राधिकारी को लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों/केन्द्रों के बारे में गुप्त रूप से सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जायेगा तथा उसको तीन चरणों में रू. 2,50,000/– की राशि पुरस्कार के रूप में नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान है।